न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 23/2023, जिला दौसा

1. घासी पुत्र ईशरा ,
2. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल
   समस्त जाति गूर्जर निवासी ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तहसील लवाण, जिला दौसा।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा।
2. भौरया पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तहसील लवाण जिला दौसा।
3. रामकरण पुत्र भौरीलाल
4. जयसिंह पुत्र भौरीलाल
5. राजेश पुत्र भौरीलाल
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तहसील लवाण, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 02.12.2022 प्रार्थना पत्र संख्या 01/2022 उनवानी घासी व अन्य बनाम सरकार व अन्य के अन्तर्गत पारित किया

उपस्थित—

1. श्री सियाराम शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रषेखर बेनीवाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री आर.पी.शर्मा, वकील रेस्पों. नं. 3 से 5

निर्णय

दिनांक —25.04.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 02.12.2022 के खिलाफ दिनांक 26.12.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.07.1963 को ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा तत्कालीन तहसील दौसा के पूर्व खसरा नंबर 83 रकबा 11 बीघा भूमि का आंवटन अप्रार्थी संख्या 02 भोंरया पुत्र मूल्या को कर दिया। अपीलांट घासी पुत्र ईशरा वगै0 द्वारा इसी आंवटन आदेश से व्यथित होकर जिला कलक्टर दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 14 (4) पेश किया गया। जिला कलक्टर दौसा ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14(4) आंवटन नियम 1970 खारिज किया गया । आवंटन समिति की बैठक दिनांक 9.7.1963 के द्वारा ग्राम हरियाणा स्थित आराजी खसरा नम्बर 83 में से 11 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये।
3. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 02.12.2022 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट घासी पुत्र ईशरा वगैरह द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 01.12.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधीवक्ता अपीलांट ने बहस हेतु समय चाहा।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

5. अपीलान्ट अपील मीमों में अंकित तथ्यों के अनुसार तत्कालीन भू आंवटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दिनांक 09.07.1963 ई० को आराजी पूर्व खसरा नम्बर 83 वाके ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा तत्कालीन तहसील दौसा के 11 बीघा भूमि का पारित आंवटन आदेश विधि, प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत फरमाये जाने के कारण खण्डनीय है। आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 65 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा में प्रार्थी संख्या 1 की पूर्व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 356 का 5 बीघा 3 बिस्वा रकबा भूमि एकीकरण कार्यवाही के दौरान अधिकृत रूप से शामिल किया गया तथा प्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल कम कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आंवटित भूमि रकबा 11 बीघा पर अप्रार्थी का कब्जा आज दिन तक नहीं हुआ। इस भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 596 लगायत 598 पर अरसा 60–70 सालों से आज दिन प्रार्थी के पूर्वज और प्रार्थी संख्या 1 व 2 का निरन्तर निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि के तारबंदी की हुई है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमि को काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा में खानाबदोस रहा था जो बाद आंवटन ग्राम छोडकर कहीं चला गया जिसके संबंध में आज तक प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है कि उक्त भौरया पुत्र मूल्या जिन्दा है अथवा मर गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम हरियाणा उर्फ हरनाथपुरा में खानाबदोस रहा था जो बाद आंवटन ग्राम छोडकर कहीं चला गया जिसके संबंध में आज तक प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है कि उक्त भौरया पुत्र मूल्या जिन्दा है अथवा मर गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आंवटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा नहीं होने तथा गांव छोडकर चले जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा गलत जानकारी पेश कर धोखे से अपने नाम पारित आंवटन आदेश दिनांक 09.07.1963 निरस्तनीय है। भू आंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आंवटित कर कब्जे के संबंध में पटवारी हल्का से प्रतिवेदन नहीं लिया गया। ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों की सूची तैयार नहीं की गई। आंवटन आदेश नियमों के विरूद्ध पारित फरमाया गया है। आंवटित भूमि के संबंध के सम्बन्ध में भौरीलाल पुत्र चन्दा गुर्जर निवासी हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा के उत्तराधिकारीगण भौरया पुत्र मूल्या के अपने को उत्तराधिकारी बताकर वर्तमान खसरा नम्बर 596 लगायत 598 की भूमि नामान्तरकरण अपने नाम करवाना चाहते है जिसे लेकर विवाद तहसीलदार लवाण के कार्यालय में लम्बित है। आंवटन का उद्देश्य भूमिहीन व्यक्ति को भूमि उपलब्ध करवाने तथा अन्य उत्पादन वृद्धि का है। भू आंवटन सलाहकार समिति ने आधिपत्य व पात्रता के संबंध में जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का से किये बिना प्रश्नगत आदेश अनियमित रूप से पारित किया था। भौरया पुत्र मूल्या की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर भौरीलाल पुत्र चन्दा गुर्जर जिसकी मृत्यु अरसा दो वर्ष पूर्व हो गई है जिसमें जीवनकाल में कभी भी उक्त भूमि पर दावा नहीं किया था, ना ही कभी भूमिहीन रहा है, के वारिसान प्रार्थीगण को निष्कासित करने अपने नाम अनाधिकृत रूप से नामान्तरकरण करवाने को प्रत्यनषील है। अतः तहसीलदार लवाण से भूमि के आधिपत्य एवं आवंटी भौरया पुत्र मूल्या के संबंध में जांच करवाकर तहसीलदार से प्रतिवेदन मंगवाया जाना प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक है। दिनांक 09.07.1963 को जो आंवटन आदेश पारित हुआ वह भौरया पुत्र मूल्या नामक व्यक्ति को हुआ एवं ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा में भौरया पुत्र मूल्या नाम का कोई व्यक्ति नहीं है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या तीन लगायत पांच भौरीलाल पुत्र चन्दा के वारिस है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या तीन लगायत पांच की ओर से ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया, ना ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या तीन लगायत पांच के पिता भौरीलाल पुत्र चन्दा एवं भौरया पुत्र मूल्या एक ही व्यक्ति हो एवं तहसीलदार लवाण द्वारा एसडीओ लवाण के यहां प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के जवाब में यह अंकित किया था कि नामान्तरकरण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपेक्षित कार्यवाही बल्यिदत में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र से भिन्न होने के कारण नहीं की गई है उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने आंवटन आदेश को बहाल रखने का जो आदेश पारित किया है वह मनमाना एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो मौके रिपोर्ट तलब की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश यह कहते हुये पारित किया है कि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया कि आंवटी भौरया पुत्र मूल्या भूमिहीन नहीं था तो इस संबध में अपीलांट का माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जब ग्राम हरनाथपुरा उर्फ हरियाणा में भौरया पुत्र मूल्या नाम कोई व्यक्ति ही नहीं है तो आंवटन किसको कर दिया एवं जिस आंवटित व्यक्ति सम्पूर्ण गांव में है ही नहीं तो भूमिहीन होने या ना होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया जिसका कभी अस्तित्व ही नहीं रहा इसलिए अपीलाधीन आदेश न्यायिक दोष से दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकार तय करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 भोरया पुत्र मूल्या के वारिस ना होकर भौरीलाल पुत्र चन्दा के विधिक वारिस है एवं उन्होनें सक्षम सिविल न्यायालय से ऐसा कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वह भौरया पुत्र मूल्या एवं भौरीलाल पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति हो एवं कानूनन पटवारी हल्का को उत्तराधिकार तय करने का भी अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 के चन्दा पुत्र श्योनारायण के वारिस है एवं चन्दा पुत्र श्योनारायण को गत खसरा नम्बर 83 में से 7 बीधा भूमि आंवटित हुई है एवं और भी पुश्तैनी भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 के पिता भौरीलाल चन्दा के पुत्र है तो ऐसी स्थिति में भौरया पुत्र मूल्या एवं भौरीलाल पुत्र चन्दा का ही व्यक्ति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देकर मनमाने रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 02.12.2022 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 3 लगायत 5 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन नियम में प्रार्थीगण ने न्यायालय के साथ धोखाधडी करने की बदनीयति से जान बूझकर अप्रार्थी संख्या 2 भोंरया पुत्र मूल्या को पक्षकार बनाते हुए पेश किया गया है, जबकि उनकी पूर्णरूपेण जानकारी में है कि भौरया पुत्र मूल्या का दिनांक 4.4.2020 को देहान्त हो चुका है। इसके बावजूद भी मूल प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना मृतक व्यक्ति भोंरया को पक्षकार बनाते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ताकि प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हो सके और गुपचुप में न्यायालय को धोखा देकर व बाबूलाल ने अपने भाई मनीष व विष्णु के साथ मिलकर अप्रार्थीगण रामकरण, जयसिंह, राजेश को पक्षकार बनाते हुए उपखण्ड अधिकारी लवाण के यहाँ मुकदमा नं0 5/2022 इसी भूमि का अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खोलने की जो कार्यवाही तहसील में चल रही थी, उसके विरूद्ध स्थानान्तरण याचिका पेश की थी, जिसमें दिनांक 12.04.2022 को उपखण्ड अधिकारी लवाण द्वारा प्रार्थीगण की स्थानान्तरण याचिका का निर्णय करते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है व तहसीलदार लवाण को नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। इसके आधार पर तहसीलदार लवाण के यहाँ नामान्तरकण की कार्यवाही लंबित है। इतनी स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थीगण को पक्षकार न बनाते हुए मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाकर यह प्रा. पत्र पेश किया गया है जो कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश होने से मेन्टेनेबल नहीं है जो स्वतः ही अबेट व खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भूमि पर पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त रजवास व तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2022 के अनुसार भोंरया के पिता का नाम चंदा था। ग्रामवासियों ने भोंरया पुत्र चन्दा को मूल्या

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र श्योनारायण, जो कि चंदा का भाई था, ने भोंरया को गोद ले लिया था लेकिन वर्तमान में रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं है। मूल्या के द्वारा गोद लेने के कारण भोंरया ने आंवटन में वल्दियत चंदा के बजाय मूल्या दर्ज किया जिसके कारण भोंरया की वल्दियत चंदा के बजाय मूल्या दर्ज हो गई। चूंकि भोंरया चंदा का पुत्र था जिसके कारण सभी राजकीय दस्तावेजों में चंदा दर्ज होने से मृत्यु प्रमाण पत्र भी भोंरया पुत्र चंदा के नाम से बना है। भोंरया पुत्र मूल्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। भोंरया पुत्र मूल्या व भोंरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति हैं। भोंरया पुत्र चन्दा की विरासत पूर्व में दर्ज हो चुका है, जो लाडा देवी पत्नि व जयसिंह, रामकरण, राजेश कुमार पुत्र व केशन्ता, उगन्ता, गीता पुत्री के नाम दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण प्रकरण में प्रा.पत्र 14 (4) आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत करने हेतु प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। अतः प्रार्थीगण की अपील खारिज की जावें। जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2022 पारित किया गया है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 9.7.1963 के द्वारा ग्राम हरियाणा स्थित आराजी खसरा नम्बर 83 में से 11 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में किया गया आंवटन आदेश यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट 13.06.2022 में भोंरया पुत्र मूल्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना बताया है एवं भोंरया पुत्र मूल्या व भोंरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति होना बताया है। जबकि अधिवक्ता अपीलांट ने पेश किये गये दस्तावेज ग्राम हरियाणा की मतदाता सूची एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचना की प्रति में भोंरया पुत्र मूल्या नाम का व्यक्ति मतदाता सूची में नहीं है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आंवटन नियम 1970 में यह बिन्दु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता है कि भोंरया पुत्र मूल्या व भोंरया पुत्र चन्दा एक ही व्यक्ति था अथवा अलग–अलग। उक्त बिन्दु तय करवाने बाबत प्रार्थीगण पृथक से अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया कि आवंटी भोंरया पुत्र मूल्या भूमिहीन नहीं था एवं प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा रहा हो। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वर्ष 1963 में भूमि आंवटन की गयी थी। अपीलांट ने 58 वर्ष बाद जिला कलक्टर दौसा के यहां दिनांक 9.5.2022 को आंवटन निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गयी है। यह कहना कि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलान्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 9.5.2022 को करीबन 58 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब के लिये प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम भी पेश नहीं किया गया था। हम समझते हैं कि समयावधि के प्रावधान भी विधि के महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनकी पालना किया जाना आवश्यक है। न्यायिक रूप से सर्वप्रथम यदि विलम्ब का कारण संतोषजनक एवं उचित होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये अन्यथा प्रकरण मियाद के बिन्दु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पर ही खारिज कर देना चाहिये। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आंवटन नियम 1970 खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2022 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकल स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 02.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/23.

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner